न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

(48)

हरिहर प्रसाद पटेल तनय सीता प्रसाद पटेल, साकिन सोनौरा, तहसील हुजूर, हाल मुकाम अनंतपुर रीवा (म0प्र0)

III/निगरानी/रीवा/भू.रा/2017/4150

———आवेदक

बनाम

म0प्र0 राज्य

———अनावेदक

श्री संतोष मिश्रा एडवोकेट द्वारा आज दि. 3-11-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प0 दि0 8-11-17

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक सर्किल गिर्द, तहसील हुजूर, जिला रीवा दिनांक 28/07/17 वावत् प्र0क0–18/अ/12/16–17 संलग्न प्रकरण 12/अ/12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 14/05/2015 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, प्रकिया एवं दस्तावेज के विरूद्ध है ।

2– यह कि आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व व आधिपत्य की आराजी नं0–1560/2 रकवा 1.506 हे0 का सीमांकन न्यायालय के प्रकरण क0–18/अ/12/16–17 आदेश दिनांक 28/07/17 के साथ–साथ पूर्व के सीमांकन प्रकरण क0–12/अ/12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 14/05/15 का सही सीमांकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र इसलिये नही किया गया क्योकि आवेदक की भूमि से लगी हुई दक्षिण तरफ की भूमि रामलोचन सिंह डिप्टी कलेक्टर व बाबूलाल साकेत डिप्टी कलेक्टर रीवा के मेली व रिश्तेदार राजेन्द्र प्रटेल वगैरह के रिकार्ड में हेरा–फेरी कूटरचना कराकर डिप्टी

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4150

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
6–11–17	आवेदक अधिवक्ता श्री संतोष कुमार मिश्रा ''रत्नमाला'' उपस्थित। अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित। 2–आवेदक के अधिवक्ता श्री संतोष कुमार मिश्रा ''रत्नमाला'' द्वारा राजस्व निरीक्षक सर्किल गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा दिनांक 28.7.17 बावत प्रकरण कमांक 18/अ–12/2016–17 एवं प्रकरण कमांक 12/अ–12/2014–15 पारित आदेश दिनांक 14.5.2015 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ धारा–5 का आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया गया है। 3–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व व आधिपत्य की आराजी कमांक 1560/2 रकवा 1.506 है0 का सीमांकन न्यायालय के प्रकरण कमांक 18/अ–12/2016–17 के साथ–साथ पूर्व के सीमांकन प्रकरण कमांक 12/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 14.5.15 का सही सीमांकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया, इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 4– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व व	

आधिपत्य की आराजी कमांक 1560/2 रकवा 1.506 है0 से लगी हुई दक्षिण तरफ की भूमि रामलोचन सिंह डिप्टी कलेक्टर व बाबूलाल साकेत डिप्टी कलेक्टर रीवा के मेली व रिस्तेदार राजेन्द्र पटेल आदि के रिकार्ड में हेरा–फेरी कूटरचना कराकर डिप्टी कमिश्नर के दामाद दीपक सिंह के नाम दिलाये गये पेट्रोल पंप "राजेन्द्रा पेट्रोलियम" को बचाना है क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय यदि निष्पक्ष रूप से सही सीमांकन आवेदक की भूमि के चारो तरफ स्थित सीमा चिन्हों से सही पैमाइस व नाप जोख करती तो आवेदक के भूमि के दक्षिण तरफ स्थित "राजेन्द्रा पेट्रोलियम" पेट्रोल पंप आवेदक के भूमि पर नप जायेगा और उक्त पेट्रोल पंप जो डिप्टी कलेक्टर के रिस्तेदार व डिप्टी कमिश्नर बाबूलाल साकेंत के दामाद दीपक के नाम पर है, अतिक्रमण पर आ जायेगा । इस तरह आवेदक की भूमि पर बेजा अतिक्रमण कर बनाया गया। पेट्रोल पंप को बचाने की गरज से सही सीमांकन व नाप जोख न कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो गलत है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक के भूमि के दक्षिण तरफ स्थित भूमि अन्य के अतिरिक्त भूमि कमांक 1530, 1531 के नक्शे व खसरे में उक्त डिप्टी कलेक्टर व डिप्टी कमिश्नर अपने मेली व दामाद दीपक सिंह व उसके पिता राजेन्द्र सिंह पटेल आदि के पेट्रोल पंप को दिलाने की गरज से मूल्यवान शासकीय राजस्व रिकार्ड नक्शा व खसरा में तमाम हेरा–फेरी कूटरचना कर फर्जी रिकार्ड के आधार पर निष्पक्ष नाप न कर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क में कहा गया है कि पेश किया गया सीमांकन प्रतिवेदन आटो

कैड नक्शा व ई0टी0एस0 फील्ड बुक चूंकि उन राजस्व कर्मचारियों द्वारा ही संधारित एवं निर्मित है जो स्वयं ही निष्पक्ष नहीं है व किया गया सीमांकन आवेदक की भूमि के दक्षिणी भाग पर निर्मित पेट्रोल पंप को बचाने के उददेश्य से किया गया है व सीमांकन मानव निर्मित व मानव संचालित मशीन से भले ही किया गया हो परंतु वह मशीन को चलाने वाले व्यक्ति पक्षपात पूर्ण रवैया के अधीन खुलेआम कार्य करते हुये एकदम झूठा प्रतिवेदन तैयार कर सीमांकन की पुष्टि किया है और इस तरह किया गया सीमांकन कतई सही व निष्पक्ष नहीं है, लेकिन ऐसा न मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है।

उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि दिनांक 28.7.17 का आदेश अंकित कर दिया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी तारीख 24.8.17 को होने पर दिनांक 29.8.17 को नकल प्राप्त हुई लेकिन आवेदक बीमार होने के कारण दिनांक 2.11.17 को निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.7.17 एवं पूर्व सीमांकन पुष्टि आदेश 14.5.15 अपास्त करते हुये पुनः दलित गठित कर निष्पक्ष विधि संगत नाप कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि पुनः सीमांकन एवं दल गठित कर सीमांकन कराने में शासन को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत धारा–5 के साथ शपथपत्र एवं डाक्टर द्वारा जारी

चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो समाधानकारक होने से विलंब क्षमा किया जाता है तथा परिसीमा अधिनियम धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार हुजूर के न्यायालय से प्राप्त हुआ और पंजीबद्व किया गया । प्रकरण के कार्यालय (भू0प्रबन्धन) जिला रीवा के पत्र कमांक 115/11 भू–प्रबंधन/पे.नि./2016 दिनांक 21.6.16 के द्वारा ग्राम अंनतपुर तहसील हुजूर की आराजी कमांक 1560/2 रकवा 1.506 है0 का सीमांकन का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। आपत्तिकर्ता श्री राजेन्द्र सिंह अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। राजस्व निरीक्षक द्वारा लेख किया गया है कि वरिष्ठ न्यायालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उनके द्वारा सीमांकन की पुष्टि की गई है, जबकि आवेदक द्वारा यही आपत्ति की गई है कि सही सीमांकन किया जावे। राजस्व निरीक्षक चाहते तो पटवारी से प्रतिवेदन एवं उभयपक्ष के समक्ष सीमांकन की कार्यवाही करते।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक सर्किल गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा दिनांक 28.7.17 बावत प्रकरण कमांक 18/अ–12/2016–17 एवं प्रकरण कमांक 12/अ–12/2014–15 पारित आदेश दिनांक 14.5.2015 निरस्त करते हुये तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा को आदेशित किया जाता है कि दल गठित कर राजस्व संहिता में बने 129 के प्रावधानों के अनुसार पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य